



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276242
CG-DL-E-16092026-276242

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4833]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/भाद्र 19, 1948

No. 4833]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/BHADRA 19, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2026

का.आ. 5023(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 0 किमी से 23.5 किमी के NH30 तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH30 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7				
1	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH30 के कि.मी 0	बिहार	पटना	दानापुर - कम - खगौल	<table><tr><td>1</td><td>मुस्तफापुर</td></tr><tr><td>2</td><td>हदसा</td></tr></table>	1	मुस्तफापुर	2	हदसा
1	मुस्तफापुर									
2	हदसा									

		से कि.मी 23.5 तक			
--	--	---------------------	--	--	--

[फा. सं. NHAI/PIU/PAT/LA/ Danapur-Bihta/Eelevated Road//2019]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th September, 2026

S.O. 5023(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 23.5 of the NH30 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of BIHAR

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH30 in the State of BIHAR.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	District land acquisition officer	NH30 KM 0 TO KM 23.5	BIHAR	PATNA	Danapur -CUM -Khagaul	1 Mustafapur 2 Hadasa

[F. No. NHAI/PIU/PAT/LA/ Danapur-Bihta/Eelevated Road//2019]

SHAIKH AMINKHAN, Director